



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276986
CG-DL-E-09102026-276986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5303]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5303]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5515(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के अम्बेडकर नगर जिले में NH227B के कि.मी. 47+800 से कि.मी. 52+800 (पैकेज-III गोसाईगंज से बिकापुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् ए.डी.एम (भू0 अ0), अयोध्या को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के अम्बेडकर नगर जिले में NH227B के कि.मी. 47+800 से कि.मी. 52+800 (पैकेज-III गोसाईगंज से बिकापुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: अम्बेडकर नगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भीति					
गांव का नाम: खानपुर					
1	301 k	सरकारी	नाली/नलकूप	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
2	301 kh	सरकारी	सड़क/जिला परिषद	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
गांव का नाम: रजपाल सोनावां					
3	4	निजी	कृषि	0.0341 (हेक्टेयर)	0.0341
4	6	निजी	कृषि	0.0049 (हेक्टेयर)	0.0049
गांव का नाम: रजपाल धवरुआ					
5	67	निजी	कृषि	0.0461 (हेक्टेयर)	0.0461
6	68	निजी	कृषि	0.0221 (हेक्टेयर)	0.0221
7	69	निजी	कृषि	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
8	70	निजी	कृषि	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
9	72	निजी	कृषि	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
10	88	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
11	89	निजी	कृषि	0.0628 (हेक्टेयर)	0.0628
गांव का नाम: ऊजीपारा					
12	168	सामान्य	कृषि/सरकारी	0.243 (हेक्टेयर)	0.243
13	2	निजी	कृषि	0.1638 (हेक्टेयर)	0.1638
14	23	निजी	कृषि	0.192 (हेक्टेयर)	0.192
गांव का नाम: नोकरापुर					
15	101	निजी	कृषि	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
16	111	निजी	कृषि	0.073 (हेक्टेयर)	0.073

17	245	निजी	कृषि	0.0157 (हेक्टेयर)	0.0157
18	246	निजी	कृषि	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
19	247	निजी	कृषि	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
20	254	निजी	कृषि	0.0033 (हेक्टेयर)	0.0033
21	256	निजी	कृषि	0.0622 (हेक्टेयर)	0.0622
22	257	निजी	कृषि	0.0199 (हेक्टेयर)	0.0199
23	80	निजी	कृषि	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
गांव का नाम: धामापट्टी					
24	430	सरकारी	जंगल ढाक	0.0176 (हेक्टेयर)	0.0176
गांव का नाम: कन्द्रियावां					
25	1117	सामान्य	कृषि/सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग	0.139 (हेक्टेयर)	0.139
26	1154	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
27	1155	निजी	कृषि	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
28	1156	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: रोहनपारा					
29	674	सरकारी	पक्की सड़क	0.046 (हेक्टेयर)	0.046
गांव का नाम: महमदपुर					
30	470	सरकारी	बंजर	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
Total					1.7623

[फा. सं. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5515(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH227B in the stretch of land from Km. 47+800 to Km. 52+800 (PKG-III Gosaiganj to Bikapur) in the district of AMBEDKAR NAGAR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely A.D.M (L.A.) Ayodhya in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard,

either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH227B in the stretch of land from Km. 47+800 to Km. 52+800 (PKG-III Gosaiganj to Bikapur) in the district of AMBEDKAR NAGAR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: AMBEDKAR NAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhati					
Village: Khanpur					
1	301 k	Government	Nali/Nalkup	0.013 (Hectare)	0.013
2	301 kh	Government	Road/Jila parisad	0.36 (Hectare)	0.36
Village: Rajpal sonawa					
3	4	Private	Agriculture	0.0341 (Hectare)	0.0341
4	6	Private	Agriculture	0.0049 (Hectare)	0.0049
Village: Rajpal dhavruwa					
5	67	Private	Agriculture	0.0461 (Hectare)	0.0461
6	68	Private	Agriculture	0.0221 (Hectare)	0.0221
7	69	Private	Agriculture	0.0228 (Hectare)	0.0228
8	70	Private	Agriculture	0.0015 (Hectare)	0.0015
9	72	Private	Agriculture	0.0125 (Hectare)	0.0125
10	88	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
11	89	Private	Agriculture	0.0628 (Hectare)	0.0628
Village: Ujee para					
12	168	Common	Agriculture/Sarkari	0.243 (Hectare)	0.243
13	2	Private	Agriculture	0.1638 (Hectare)	0.1638
14	23	Private	Agriculture	0.192 (Hectare)	0.192
Village: Nokarapur					
15	101	Private	Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
16	111	Private	Agriculture	0.073 (Hectare)	0.073
17	245	Private	Agriculture	0.0157 (Hectare)	0.0157
18	246	Private	Agriculture	0.014 (Hectare)	0.014
19	247	Private	Agriculture	0.022 (Hectare)	0.022
20	254	Private	Agriculture	0.0033 (Hectare)	0.0033
21	256	Private	Agriculture	0.0622 (Hectare)	0.0622
22	257	Private	Agriculture	0.0199 (Hectare)	0.0199
23	80	Private	Agriculture	0.034 (Hectare)	0.034
Village: Dhamapatti					
24	430	Government	Jangal Dhak	0.0176 (Hectare)	0.0176
Village: Kandriyawan					
25	1117	Common	Agriculture/Sadak SarvJanik Nirman Vibhag	0.139 (Hectare)	0.139
26	1154	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
27	1155	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015

28	1156	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
Village: Rohanpara					
29	674	Government	Road	0.046 (Hectare)	0.046
Village: Mehmampur					
30	470	Government	Banjar	0.082 (Hectare)	0.082
Total					1.7623

[F. No. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director